पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक : 10291/अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक :16.01.2007

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक १२-१-२००७ को अपरान्ह् ३ बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

1.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
3.	डॉ शशिभूषण	सदस्य
4.	डॉ एच.आर.शर्मा	सदस्य
5.	डॉ रमेन्द्र नाथ मिश्र	सदस्य
6.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
7.	डॉ आर.के.गुप्ता	सदस्य
8.	श्री राहुल महावार	सदस्य
9.	डॉ युगल भारती	सदस्य
10.	श्री के.के.चंद्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.11.2006 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.11.2006 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कुलपति ने कार्यपरिषद के सदस्यों को जानकारी दी कि उक्त कार्यवृत्त के विषय क्रमांक 35 में लिये गये निर्णयानुसार श्री विक्टर एक्का,उपकुलसचिव को विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक ३०/सा.प्रशा/२००७ दिनांक ६.१.२००७ के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर दिनांक ८.१.२००७ को सायं ४ बजे तक मांगा गया था। श्री विक्टर एक्का ने अपने पत्र दिनांक ८.१.२००७ के द्वारा निवेदन किया गया था कि उन्हें कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिये १५ दिवस का समय चाहिये। श्री एक्का के निवेदन के आधार पर उन्हें १५ दिवस का समय देते हुये उत्तर दिनांक २१.१.२००७ तक प्रस्तुत करने को आदेशित किया है।

कार्यपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 14.11.2006 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ संपुष्टि प्रदान की गई-(अ) विषय क्रमांक 1 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को शोध केंद्र बनाने के संबंध में संपूर्ण प्रकरण पर परीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में कार्यपरिषद सदस्य डॉ.मुकुंद हम्बर्डे (समन्वयक) एवं प्रो.आर.के.गुप्ता, सदस्य होंगे। (ब)विषय क्रमांक 11 में टंकित निर्णय का संबंध विषय से नहीं है अतः परीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

2. त्रयोदश दीक्षान्त समारोह के आयोजन संबंधी की जा रही कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

टीप- त्रयोदश दीक्षांत समारोह दिनांक २४ जनवरी २००७ को पूर्वान्ह् ११.०० बजे विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में आयोजित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ आर.चिदम्बरम, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार, डी.ए.ई-होमी भाभा प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, परमाणु उर्जा आयोग होंगे। समारोह की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री के.एम.सेठ, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एवं कुलाधिपति करेंगे। अतिविशिष्ठ अतिथि डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं विशिष्ट अतिथि के

रूप में श्री रमेश बैस, सदस्य लोकसभा, रायपुर, श्री अजय चंद्राकर, मंत्री, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, संस्कृति, पर्यटन राजस्व एवं वन, श्री राजेश मूणत, मंत्री लोक निर्माण तथा श्री सुनील सोनी, महापौर, रायपुर रहेंगे। त्रयोदश दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. की उपाधि के लिये पात्र घोषित शोधार्थियों को उपाधि तथा वर्ष २००६ की परीक्षा के परिणाम के आधार पर घोषित प्रावीण्य सूची में चयनित छात्रों को स्वर्ण पदक वितरित किये जायेंगे।

निर्णय त्रयोदय दीक्षांत समारोह के संबंध में की जा रही कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। इस समारोह में डॉ आर.चिंदबरम को डी.एस.-सी. की मानद उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा की गई। कृषि पंडित नारायण चावला को डी.एस.-सी की मानद उपाधि प्रदान करने की संस्तुति की गई तथा अनुमोदन हेतु कुलाधिपति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा परिनियम–28 का पालन संबंधी।

निर्णय जिन महाविद्यालयों ने परिनियम २८ का पालन नहीं किया है एवं अस्थायी संबद्धता के समय बतायी गयी शर्तों की पूर्ति नहीं की है उन्हें सत्र २००७-०८ में संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय। शासकीय महाविद्यालयों के संबंध में भी परिनियम २८ में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ति हेतु प्राचार्य एवं शासन को पत्र लिखा जाय।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

4. वार्षिक परीक्षा–2007 एवं सेमेस्टर परीक्षा–2007 के रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार कार्य संबंधित फर्म को प्रदान करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय वार्षिक परीक्षा–2007 एवं सेमेस्टर परीक्षा–2007 के रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार कार्य Oswal Data Processing, Indore को प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही- विकास शाखा)

5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप के अनुसार शैक्षणिक पदों के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए प्रसारित विज्ञापन की सूचना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

6. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विश्वविद्यालय के प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनक तिवारी को रिटेनर तथा श्री जितेन्द्र पाली को **स्टेडिंग कौंसिल** नियुक्त करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

(कार्यवाही- प्रशासन शाखा)

निर्णय सूचना ग्रहण की गई ।

7. श्री आर.के. पाण्डे, अधिवक्ता, रायपुर को स्थानीय न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में विश्वविद्यालय अधिवक्ता नियुक्त करने के संबंध में प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि स्टेडिंग कौसिंल में जिला स्तर के अन्य अधिवक्ता भी शामिल किया जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन शाखा)

8. कुलपति निवास के लिए स्थायी इंप्रेस्ट राशि रू. 2500/– की स्वीकृति के संबंध में विचार

9 विधि अध्ययनशाला हेतु स्वीकृत इंप्रेस्ट राशि रू. 1000/– को बढ़ाकर रू. 5000/– करने हेतु विचार करना ।

निर्णय अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- वित्त शाखा)

10. प्रशासनिक भवन, ग्रंथालय, प्रेक्षागृह, कला भवन एवं विज्ञान भवन के सफाई कार्य एवं संबंधित गार्डन, कांट्रेक्ट के आधार पर प्रदान करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक भवन, ग्रंथालय, प्रेक्षागृह, कला भवन एवं विज्ञान भवन के सफाई कार्य एवं संबंधित गार्डन कांट्रेक्ट के आधार पर प्रदान करने के पूर्व इससे संबंधित सभी पहलुओं (विश्वविद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या, वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता, इस मद पर होने वाले व्यय आदि) पर परीक्षण कर कार्यपरिषद्र की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन शाखा)

11. भवन समिति की बैठक दिनांक 08.12.2006 की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- विश्वविद्यालय यांत्रिकी शाखा)

12. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के द्वारा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेशित छात्रों के नाम प्रेषित करने वाले महाविद्यालयों की सूची जमा करने संबंधी ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित निम्नलिखित जानकारी तैयार कर कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे- १.महाविद्यालय के नाम जिन्होंने प्रवेशित छात्रों के नाम अभी तक विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया है, २.संबंधित महाविद्यालयों के द्वारा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेशित छात्रों के नाम विश्वविद्यालय में प्रेषित करने की निर्धारित तिथि, ३. निर्धारित तिथि तक जिन महाविद्यालयों ने उक्त जानकारी प्रेषित नहीं की है तो उन महाविद्यालयों पर क्या कार्यवाही की गई।

(कार्यवाही- परीक्षा/अकादमिक शाखा)

13. ग्रंथालय समिति के लिए कार्यपरिषद से एक सदस्य की नियुक्ति बाबत ।

निर्णय ग्रंथालय समिति के सदस्य के लिये कार्यपरिषद से प्रो.आर.के.गुप्ता को नियुक्त किया गया।

(कार्यवाही- पं.सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय)

14 राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के विभागीय एवं जीप इंप्रेस्ट राशि में वृद्धि बाबत ।

निर्णय राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के विभागीय एवं जीप इंप्रेस्ट की राशि रूपये ५०००/- स्वीकृत की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन किया जावे जो विनियम में उल्लेखित

प्रावधानों के तहत् आवश्यकतानुसार प्रत्येक विभाग के लिये इम्प्रेस्ट की राशि का आकलन कर प्रतिवेदन देंगें। इस समिति में कार्यपरिषद सदस्य प्रो.आर.के.गुप्ता, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी सदस्य होंगे।

(कार्यवाही- वित्त शाखा /राष्ट्रीय सेवा योजना)

15. बी.एच.एम.एस. (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के आयोजन संबंधी ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि बी.एच.एम.एस. (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के आयोजन एवं बी.एच.एम.एस. के पंजीयन के संबंध मे वस्तुस्थिति का परीक्षण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें कार्यपरिषद सदस्य डॉ शशिभूषण, समन्वयक एवं अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय सदस्य रहेंगे।

(कार्यवाही- परीक्षा/अकादमिक शाखा)

16. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को हिन्दी विषय के शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने बाबत विचार करना ।

निर्णय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को हिन्दी विषय के शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

17. विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.01.2007 की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.01.2007 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

18. विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय कार्यपरिषद सदस्यों के द्वारा सुझायें गये संशोधन को शामिल करते हुये विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- प्रशासन शाखा)

19. मुख्य परीक्षा–2007 के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई। दूरस्थ महाविद्यालयों की असुविधा एवं कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये इस संबंध में पुर्नविचार कर लिया जावे परन्तु विचार करते समय किसी भी स्थिति में अनुचित साधन या पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिबंधित महाविद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जावे। ऐसे महाविद्यालय में केंद्र के संबंध में पुर्नविचार के समय इस बिंदु पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित महाविद्यालयों में परिनियम २८ के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की गई है अथवा नहीं। शासन से संबंधित महाविद्यालयों के लिये प्राचार्य के अलावा शासन को पत्र लिखा जावे । यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से संबंधित नये महाविद्यालयों के लिये वरिष्ठ अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक हेतु नाम शासन से मंगाया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से

(कार्यवाही- परीक्षा शाखा)

20. **सी.व्ही.रमन कालेज ऑफ एजुकेशन, रायपुर के प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।**

निर्णय सी.व्ही.रमन कालेज ऑफ एजुकेशन, रायपुर के प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ आर.पी.पाण्डे की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

२१. **विश्वविद्यालय में कार्यरत दफ्तरियों को शासन के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक ३७२/१०९/९७/सी/चार दिनांक ४.३.१९९७ में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विशेष वेतन रूपये ५०/- प्रतिमाह प्रदान करनें पर विचार करना।**

निर्णय अनुमोदित की गई।

(कार्यवाही- प्रशासन शाखा)

२२. **कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर के पत्र क्रमांक ३६११ दिनांक २९.११.२००६ के संदर्भ में द्वारा बी.एड. परीक्षा २००७ के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत ।**

निर्णय बी.एड. की परीक्षा के संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके संबंध में उनसे पुनः पत्राचार किया जावे तथा वस्तुस्थिति के आंकलन के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जावे।

(कार्यवाही- परीक्षा शाखा)

२३. **विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण पर विचार करना।**

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर विधिक परीक्षण कर कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन शाखा)

२४. **मौलाना अबुल कलाम आजाद कालेज ऑफ फार्मेसी रायपुर को निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर डिप्लोमा इन फार्मेसी द्वितीय वर्ष की संबद्धता का अनुमोदन करना।**

निर्णय निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर मौलाना अबुल कलाम आजाद कालेज ऑफ फार्मेसी रायपुर में डिप्लोमा इन फारमेसी द्वितीय वर्ष की संबद्धता का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक शाखा)

25. **स्टोरकीपर की पदोन्नति के प्रकरण के संबंध में गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।**

निर्णय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

आदेशानुसार,

Chaturvedi
कुलपति

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 10292 / अका. / का.प. / 2007

रायपुर, दिनांक : 16.01.2007

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रूटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से १५ दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)